निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**26 चैत्र 1948 (श0)**

**(सं0 पटना 367) पटना बृहस्पतिवार, 16 अप्रील 2026**

बिहार विद्युत विनियामक आयोग

---

**अधिसूचना**

**9 अप्रील 2026**

सं॰ बी॰ई॰आर॰सी॰–स्था॰–05/14–**03**——विद्युत अधिनियम, 2003 (सं0 36, 2003) की धारा 181, उपधारा 2 (zk) सह पठित धारा 91 की उप धारा (1), (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्युत विनियामक आयोग अपने नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्तों को विनियमित करने हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित संशोधन करता है।

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और उपयोजन।**–
   (1) यह विनियमावली बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्ते) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2026 कही जायेगी।
   (2) यह पूरे बिहार राज्य में लागू होगी।
   (3) यह बिहार गजट में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
   (4) यह बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगी।

2. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्ते) विनियमावली, 2014 की कंडिका 2(1)(त) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

   **"सीधी भर्त्ती से अभिप्रेत है बिहार विद्युत विनियामक आयोग अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कोई अन्य चयन पर्षद/चयन आयोग/प्राधिकार की अनुशंसा पर की गयी नियुक्ति, जो स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर की गयी नियुक्ति के अतिरिक्त की गयी है' ;**

3. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्ते) विनियमावली, 2014 की कंडिका 4(2) के बाद निम्नलिखित उप कंडिका (3) को जोड़ा जाएगा–

   **"आयोग के निर्णयानुसार प्रेषित अधियाचना के आलोक में, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य कोई चयन पर्षद/चयन आयोग/प्राधिकार के द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, आशुलिपिक एवं परिचारी के रिक्तियों के**

**विरूद्ध चयन कर योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार (बिहार विद्युत विनियामक आयोग) को उपलब्ध कराया जा सकेगा';**

4. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्ते) विनियमावली, 2014 की कंडिका 7(2) के अंत में जोड़ा जाएगा–

**".......परन्तु आयोग समय–समय पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य कोई चयन पर्षद/चयन आयोग/प्राधिकार के माध्यम से भी चयन हेतु अधियाचना भेजकर चयनित सुयोग्य उम्मीदवारों की सूची प्राप्त कर नियुक्ति कर सकेगा';**

5. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्ते) विनियमावली, 2014 के अनुसूची–I के क्रमांक–26 के पदनाम को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

**"सहायक प्रशाखा पदाधिकारी'**

6. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्ते) विनियमावली, 2014 के अनुसूची–I के क्रमांक–34 के पदनाम को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

**"कार्यालय परिचारी'**

7. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्ते) विनियमावली, 2014 के अनुसूची–II के क्रमांक–26 के स्तम्भ–2 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

**"सहायक प्रशाखा पदाधिकारी'**

8. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्ते) विनियमावली, 2014 के अनुसूची–II के क्रमांक–26 के स्तम्भ–4 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

**"सीधी भर्त्ती'**

9. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्ते) विनियमावली, 2014 के अनुसूची–II के क्रमांक–26 के स्तम्भ–5 एवं स्तम्भ–6 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

**"राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप होंगे'**

10. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्ते) विनियमावली, 2014 के अनुसूची–II के क्रमांक–29 के स्तम्भ–5 एवं स्तम्भ–6 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

**"राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप होंगे'**

11. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्ते) विनियमावली, 2014 के अनुसूची–II के क्रमांक–34 के स्तम्भ–2 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

**"कार्यालय परिचारी'**

12. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्ते) विनियमावली, 2014 के अनुसूची–II के क्रमांक–34 के स्तम्भ–5 एवं स्तम्भ–6 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

**"राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप होंगे'**

नोटः– *''मौजूदा उप कंडिका 4(3) एवं 4(4) क्रमशः 4(4) एवं 4(5) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा।''*

आयोग के आदेशानुसार,
नदीम अहमद,
सचिव।

## BIHAR ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

**Notification**

***The 9th April 2026***

No. BERC-Estb-05/14-**03** In exercise of the powers conferred by sub section 2(zk) of Section 181 read with sub-sections (1) (2) and (3) of Section 91 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Bihar Electricity Regulatory Commission, with the approval of the State Government, amends the following Regulations to regulate recruitment, terms and conditions of service of officers and staff under its control.

**1.** ***Short Title Extent and Commencement: –***

(1) These regulations shall be called the "Bihar Electricity Regulatory Commission (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) (2nd Amendment) Regulations, 2026'.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(4) It shall apply to all officers and employees of the Bihar Electricity Regulatory Commission.

2. Clause 2(1)(o) of Bihar Electricity Regulatory Commission (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2014 is substituted by following:

**"Direct Recruitment' means appointment made on recommendation of Bihar Electricity Regulatory Commission or Bihar Staff Selection Commission or any other Selection Board/Selection Commission/ Authority as prescribed by the State Government from time to time, other than appointment made by transfer, on deputation or on contract basis';**

3. After Clause 4(2) of Bihar Electricity Regulatory Commission (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2014, the following sub-clause (3) shall be added:

**"In the light of the requisition as may be sent by Bihar Electricity Regulatory Commission, the Bihar Staff Selection Commission or any other Selection Board/Selection Commission/ Authority as prescribed by the State Government from time to time shall make selection for the vacancies of Assistant Section Officer, Stenographer or Office Attendant (Karyalaya Parichari) and shall be provide the recommendation of eligible candidates to the Appointing Authority (Bihar Electricity Regulatory Commission) as per rules';**

4. At the end of Clause 7(2) of Bihar Electricity Regulatory Commission (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2014, the following shall be added:

**"…..However, the Commission may also send a requisition for selection from time to time to Bihar Staff Selection Commission or any other Selection Board/Selection Commission/ Authority as prescribed by the State Government from time to time and after obtaining the list of selected eligible candidates, make appointments';**

5. The designation at Serial No. 26 of Schedule-I of Bihar Electricity Regulatory Commission (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2014 shall be substituted by following:
**"Assistant Section Officer'**

6. The designation at Serial No. 34 of Schedule-I of Bihar Electricity Regulatory Commission (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2014 shall be substituted by following:
**"Office Attendant (Karyalay Parichari)'**

7. Column 2 of Serial No. 26 of Schedule-II of Bihar Electricity Regulatory Commission (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2014 shall be substituted by following:
**"Assistant Section Officer'**

8. Column 4 of Serial No. 26 of Schedule-II of Bihar Electricity Regulatory Commission (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2014 shall be substituted by following:
**"Direct Recruitment'**

9. Column 5 and Column 6 of Serial No. 26 of Schedule-II of Bihar Electricity Regulatory Commission (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2014 shall be substituted by following:
**"As per guidelines issued by the State Government from time to time'**

10. Column 5 and Column 6 of Serial No. 29 of Schedule-II of Bihar Electricity Regulatory Commission (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2014 shall be substituted by following:
**"As per guidelines issued by the State Government from time to time'**

11. Column 2 of Serial No. 34 of Schedule-II of Bihar Electricity Regulatory Commission (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2014 shall be substituted by following:
**"Office Attendant (Karyalay Parichari)'**

12. Column 5 and Column 6 of Serial No. 34 of Schedule-II of Bihar Electricity Regulatory Commission (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2014 shall be substituted by following:
**"As per guidelines issued by the State Government from time to time'**

**Note:** "***Existing sub-clauses 4(3) and 4(4) shall be renumbered as sub-clauses 4(4) and 4(5), respectively."***

**By Order of the Commission**
**NADEEM AHMAD,**
***Secretary.***

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 367-571+10-डी0टी0पी0।
**Website: https://egazette.bihar.gov.in**